



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 246 राँची, मंगलवार,

24 मई, 2022 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

13 मई, 2022

संख्या- 11/बंदी विविध-05/2021-1898--झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद् की दिनांक- 30.03.2022 को आहूत बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग में संसीमित आजीवन कारावास सजाप्राप्त निम्नांकित 02 (दो) बंदियों को राज्य सरकार द्वारा कारा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है :-

क्र.	सजावार बंदी का नाम, पिता का नाम, उम्र एवं पता	सत्रवाद संख्या एवं धारा
1	भुपाल मंडल, पे. स्व. प्रयाग मंडल, उम्र लगभग 63 वर्ष	सत्रवाद संख्या- 15/78, बेंगाबाद थाना कांड संख्या- 08(6)/77, जी.आर.-692/77,

	ग्राम- रतडीह, थाना- बेंगाबाद, जिला- गिरिडीह।	धारा-302IPC
2	शरत चंद्र माहथा, पे.-स्व. महेश्वर माहथा, उम्र- 51 वर्ष लगभग। ग्राम- भोजुडीह, थाना- चन्दनक्यारी, जिला- बोकारो ।	सत्रवाद संख्या- 264/05, चन्दनक्यारी थाना कांड संख्या-09/05, धारा- 302IPC&27Arms Act.

उपर्युक्त सभी बंदियों को कारामुक्ति के पूर्व सत्यनिष्ठा का शपथ पत्र भरना अनिवार्य होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अन्तोनी संग्र,
सरकार के अवर सचिव ।
